Annexure-1

(24)

संचिका– e-gov/DBT-01/2018 1118 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक 13-2-18

विषय:- वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के गठन के संबंध में ।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) में आवेदन Process करने के उपरांत बैंकों के माध्यम से 4,00,000/- (चार लाख) रु तक के स्टूडेंट ऋण का भुगतान किया जाता है । इस योजना के शुरू होने के उपरांत अभी तक अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों को ऋण नहीं दिया जा सका है ।

2. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के स्थान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निगम का जिला स्तरीय कार्यालय तत्काल प्रत्येक जिला के DRCC कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगा ।

3. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के निर्माण एवं संचालन के संबंध में निरूपित Memorandum of Association (MoA) तथा Articles of Association (AoA) द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन विहित किया गया है ।

4. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को सुचारू रूप से संचालन एवं कार्यालय प्रबंधन हेतु निम्नांकित पदों का सृजन किया गया है :–

क्र०	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	स्रोत
1	2	3	4
1	Chief Executive Officer cum Managing Director	1	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
2	General Manager Administration	1	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
3	General Manager Operation	1	अनुबंध
4	Manager Operation	1	अनुबंध
5	Asst. Manager Operation	2	अनुबंध
6	;IT Manager	1	अनुबंध
7	Company Secretary	1	अनुबंध
8	Legal Advisor	1	अनुबंध (खुली निविदा)
9	Accounts Manager	1	अनुबंध

Scanned with CamScanner

10	Executive Assistant	2	अनुबंध
11	Assistant (Administration)	1	अनुबंध
12	Computer Operator-cum-Typist	1	अनुबंध
13	Assistant Manager BSCC	38	अनुबंध
14	Data Entry Operator	79	अनुबंध

5. उक्त निगम कंपनी अधिनियम-201, के अधीन सरकारी कंपनी के रूप में निबंधित की जायेगी ।

6. कंपनी के संचालन हेतु 9.6 करोड़ रुपये की राशि authorised एवं paid up equity के रूप में होगी ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/2

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-e-gov/DBT-01/2018....1118.... दिनांक- 13-2-18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/2

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-e-gov/DBT-01/2018....1118.... दिनांक- 13-2-18

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/2

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-e-gov/DBT-01/2018....1118.... दिनांक- 13-2-18

प्रतिलिपि-सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

13/2

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव ।

Scanned with CamScanner